



पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (पेंशनर का नाम).....

पिता/पति का नाम.....जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या..... का धारक है,
देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर पेंशनर.....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर के

नियोजित होने/नहीं होने का प्रमाण-पत्र

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग में या केन्द्र / राज्य सरकार की किसी कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति या किसी संस्था में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं रहा / रही हूँ।

(ख) मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजन स्वीकार किया है तथा परिलब्धियां रूपये प्राप्त हुई है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर पेंशनर

पुनर्विवाह/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गत छह माह में विवाह नहीं किया है/मेरा विवाह नहीं हुआ है।

या
मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी घटना की सूचना देने लिए मैं प्रतिवचन देता/देती हूँ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर पेंशनर

मैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर उक्त घोषणा को सही होने के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ।

स्थान:.....

उत्तरदायी अधिकारी या सुविधित व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

नाम:.....

पद:.....

पेंशनर का नाम:.....

वर्तमान पता:.....

टेलिफोन नं.:.....

पी.पी.ओ. नम्बर(नया):.....

नोट:- कृपया पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर 30 नवम्बर, 20.... तक जीवित प्रमाण पत्र संस्थापन शाखा में जमा करायें अन्यथा नियमानुसार देय पेंशन रोकने संबंधी कार्यवारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।